[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 05 /2025 – केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 जनवरी, 2025

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने हेतु अपेक्षित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के अंतर्गत प्रारूप जीएसटीआर-7 में, दिसम्बर, 2024 माह के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को, माह जनवरी, 2025 के बारहवें दिन तक आगे बढाते हैं।

[फ.सं. सीबीआईसी-20021/2 /2025 -जीएसटी]

(रौशन कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव